"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 296] रायपुर, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2009—आश्विन 8, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	07	गुरू घासीदास वार्ड
		11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		29	शहीद रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड
		39	गणेश नगर वार्ड
		53	बापू नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	12	कांतिकुमार भारतीय नगर वार्ड
		10	मदर टेरेसा वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	विकास नगर वार्ड
		15	संजय गांधी नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	45	अरविंद नगर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06	तिलक नगर वार्ड
		08	राजेन्द्र नगर वार्ड
		18	आजाद नगर वार्ड
		26	नागोराव शेष वार्ड
		31	इंदिरा नगर वार्ड
		32	तात्या टोपे नगर वार्ड
		37	शंकर नगर वार्ड
		52	जगन्नाथ वार्ड
		54	लोको कॉलोनी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	02	विष्णु नगर वार्ड
		42	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		27	कृष्णा नगर वार्ड
		35	महाराणा प्रताप वार्ड
		40	कमला नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	49	बिलासा नगर वार्ड
		44	शहीद मंगल पाण्डे वार्ड
		33	रामदास नगर वार्ड
		19	शहीद असफाकउल्ला वार्ड
		20	रामनगर वार्ड
		48	रामकृष्ण परमहंस वार्ड
		41	ठाकुर देव वार्ड
		14	विनोबा नगर वार्ड
		47	पं. देवकीनंदन दीक्षित वार्ड
		13	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Bilaspur, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	07	Guru Ghasidas Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
		11	Dr. Ambedkar Ward
		29	Shahid Ramprasad Bismil Ward
		39	Ganesh Nagar Ward
		53	Bapu Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	12	Kantikumar Bhartiya Nagar Ward
		10	Mother Teresa Ward
3.	Scheduled Tribes	01	Vikas Nagar Ward
		15	Sanjay Gandhi Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	45	Arvindra Nagar Ward
5.	Other Backward Class	06	Tilak Nagar Ward
		08	Rajendra Nagar Ward
		18	Azad Nagar Ward
		26	Nagorao Shesh Ward
		31	Indira Nagar Ward
		32	Tatya Tope Nagar Ward
		37	Shankar Nagar Ward
		52	Jagannath Ward
		54	Loko Colony Ward
6.	Other Backward Class (Female)	02	Vishnu Nagar Ward
		42	Dr. Shyama Prasad Mukharjee Ward
		27	Krishna Nagar Ward
		35	Maharana Pratap Ward
		40	Kamala Nehru Ward
7.	Female	49	Bilasa Nagar Ward
		44	Shahid Mangal Pandey Ward
		33	Ramdas Nagar Ward
		19	Shahid Asfakulla Ward
		20	Ram Nagar Ward
		48	Ramkrishna Paramhans Ward
		41	Thakur Dev Ward
		14	Vinoba Nagar Ward
		47	Pt. Devkinandan Dixit Ward
		13	Rani Laxmi Bai Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगरपालिका मुंगेली,

जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	ठक्कर बापा वार्ड
		13	अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	17	तिलक वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	राजेन्द्र वार्ड
		14	कालीमाई वार्ड
		09	गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	01	रामगोपाल तिवारी वार्ड
		19	एन्ड्रूज वार्ड
7.	महिला वर्ग	15	मोहम्मद बशीर खां वार्ड
		21	विनोबा नगर वार्ड
		11	जवाहर वार्ड
		16	कबीर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Mungeli, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	12	Thakkar Baba Ward
		13	Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	17	Tilak Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	07	Rajendra Ward
		14	Kalimai Ward
		09	Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	01	Ramgopal Tiwari Ward
		19	Andrew Ward
7.	Female	15	Muhammad Bashir Khan Ward
		21	Vinoba Nagar Ward
		11	Jawahar Ward
		16	Kabir Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बिल्हा, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	रानी दुर्गावती वार्ड
		15	राजीव गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	06	मिनीमाता वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		10	भक्त कंवर राम वार्ड
		07	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	आजाद नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	अग्रसेन वार्ड
		01	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		05	महात्मा गांधी वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bilha, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	08	Rani Durgawati Ward
		15	Rajeev Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	06	Minimata Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	11	Dr. Ambedakar Ward
		10	Bhakta Kanwar Ram Ward
		07	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Aazad Nagar Ward
7.	Female	03	Agrasen Ward
		01	Lal Bahadur Shastri Ward
		05	Mahatma Gandhi Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सरगांव, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	जय स्तम्भ चौक वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	पं. दिनदयाल वार्ड
		06	रामसप्ताह वार्ड
		03	भामाशाह वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	05	लक्ष्मी वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	रानी अवंती बाई वार्ड
		10	इंदिरा नगर वार्ड
		09	गुरू गोविन्द वार्ड
		14	अटल चौक वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Sargaon, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	08	Jai Stambh Chowk Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes		Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	07	Pt. Dindayal Ward
		06	Ram Sapptah Ward
		03	Bhamashah Ward
6.	Other Backward Class (Female)	05	Laxmi Ward
7.	Female	01	Rani Awanti Bai Ward
		10	Indira Nagar Ward
		09	Guru Govinda Ward
		14	Atal Chowk Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत गौरेला, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	13	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		14	डॉ. भवर सिंह पोर्ते वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	मथुरा प्रसाद दुबे वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	भगत सिंह वार्ड
		04	डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड
		12	संजय गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	03	लाला लाजपत राय वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	महात्मा गांधी वार्ड
		05	इंदिरा गांधी वार्ड
		09	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Gourela, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	15	Ambedakar Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	13	Maharani Laxmi Bai Ward
		14	Dr. Bhawar Singh Porte Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Mathura Prasad Dubey Ward
5.	Other Backward Class	08	Bhagat Singh Ward
		04	Dr. Zakir Husain Ward
		12	Sanjay Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	03	Lala Lajpat Rai Ward
7.	Female	06	Mahatma Gandhi Ward
		05	Indira Gandhi Ward
		09	Lal Bahadur Shastri Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	06	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	सरदार पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	02	नेताजी सुभाष वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	10	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		11	राजीव गांधी वार्ड
		09	इंदिरा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	मथुरा प्रसाद दुबे वार्ड
7.	महिला वर्ग	05	सरदार भगत सिंह वार्ड
		08	महात्मा गांधी वार्ड
		15	चंद्रशेखर आजाद वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pendra, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	06	Dr. Ambedakar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	01	Sardar Patel Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	02	Netaji Subhash Ward
5.	Other Backward Class	10 11 09	Dr. Rajendra Prasad Ward Rajeev Gandhi Ward Indira Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Mathura Prasad Dubey Ward
7.	Female	05 08 15	Sardar Bhagat Singh Ward Mahatma Gandhi Ward Chandrashekhar Azad Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन [illegible] नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 [illegible] 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत बोदरी, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	03	डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	02	रविशंकर शुक्ल वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	01	सरदार पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	06	रानी दुर्गावती वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12 08 05	इंदिरा गांधी वार्ड भक्त कंवर राम वार्ड महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	14	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
7.	महिला वर्ग	15 10	राजीव गांधी वार्ड विनोबा सर्वोदय वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Bodri, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	03	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	02	Ravishankar Shukla Ward
3.	Scheduled Tribes	01	Sardar Patel Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	06	Rani Durgawati Ward
5.	Other Backward Class	12 08 05	Indira Gandhi Ward Bhakta Kanwar Ram Ward Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	14	Jawahar Lal Nehru Ward
7.	Female	15 10	Rajeev Gandhi Ward Vinoba Sarvodaya Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत रतनपुर, ज़िला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	10	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
		11	रत्नेश्वर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	महावीर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	महात्मा गांधी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	गांधी नगर वार्ड
		04	भगत सिंह वार्ड
		14	बैरागबन वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	मौली माता वार्ड
7.	महिला वर्ग	13	कबीर दास वार्ड
		05	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.--The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Ratanpur, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	10	Dr. Ambedakar Ward
		11	Ratneshwar Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Mahaveer Ward
3.	Scheduled Tribes	15	Pt. Jawahar Lal Neharu Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Mahatma Gandhi Ward
5.	Other Backward Class	02	Gandhi Nagar Ward
		04	Bhagat Singh Ward
		14	Bairagaban Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Mauli Mata Ward
7.	Female	13	Kabeer Das Ward
		05	Dr. Rajendra Prasad Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत तखतपुर, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	05	महात्मा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग		निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
		03	शरन नगर वार्ड
		06	महामाया वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	राममनोहर लोहिया वार्ड
7.	महिला वर्ग	07	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड
		15	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		13	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Takhatpur, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	14	Dr. Ambedakar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	05	Mahatma Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	•	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	04	Maulana Abdul Kalam Ward
		03	Sharan Nagar Ward
		06	Mahamaya Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Rammanohar Lohiya Ward
7.	Female	07	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
		15	Pt. Jawahar Lal Neharu Ward
		13	Shyama Prasad Mukharjee Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत कोटा, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	07	राजीव गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	•	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	महात्मा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	ठाकुर देव वार्ड
		02	विवेकानंद वार्ड
		08	हनुमान मंदिर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	05	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	14	राम मंदिर वार्ड
		06	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		11	चंडी माई वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Kota, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act. 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	07	Rajeev Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	15	Mahatama Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Dr. Ambedakar Ward
5.	Other Backward Class	13	Thakur Dev Ward
		02	Vivekananda Ward
		08	Hanuman Mandir Ward
6.	Other Backward Class (Female)	05	Rajendra Prasad Ward
7.	Female	14	Ram Mandir Ward
		06	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		11	Chandi Mai Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत लोरमी, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	15	गायत्री वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	09	महात्मा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	01	शिव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	अग्रसेन वार्ड
		03	महामाया वार्ड
		13	गुरूनानक वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	सुभाष चंद्र बोस वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	ठाकुर देव वार्ड
		07	जय दुर्गा वार्ड
		05	विवेकानंद वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Lormi, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	15	Gayatri Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	09	Mahatma Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	01	Shiva Ward
5.	Other Backward Class	08	Agrasen Ward
		03	Mahamaya Ward
		13	Gurunanak Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Subhash Chandra Bose Ward
7.	Female	06	Thakur Dev Ward
		07	Jai Durga Ward
		05	Vivekananda Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत तिफरा, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	रानी दुर्गावती वार्ड
		10	गौतम बुद्ध वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	विवेकानंद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	संत रविदास वार्ड
		6	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		13	सरदार पटेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	यदुनंदन नगर वार्ड
		14	काली मंदिर वार्ड
		7	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No, F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Tifra, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	4	Rani Durgawati Ward
		10	Gautam Budha Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	15	Vivekanand Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	12	Sant Ravidas Ward
		6	Rani Laxmibai Ward
		13	Sardar Patel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Pt. Sunderlal Sharma Ward
7.	Female	3	Yadunandan Nagar Ward
		14	Kali Mandir Ward
		7	Dr. Khoobchand Baghel Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 195[illegible] [illegible] 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन [illegible]गढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 199[illegible] [illegible] की अपेक्षानुसार नगर पंचायत मल्हार, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	9	परऊ देव वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1[illegible]	वृंदावन वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	7	बूढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)		निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	सिद्ध नगर वार्ड
		15	आजाद वार्ड
		12	मां डिंडेश्वरी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	नन्द महल वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	महात्मा गांधी वार्ड
		5	पातालेश्वर महादेव वार्ड
		3	राधाकृष्ण वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Malhar, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	9	Parau Deo Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Vrindavan Ward
3.	Scheduled Tribes	07	Budhadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)		Nil
5.	Other Backward Class	02	Siddha Nagar Ward
		15	Azad Ward
		12	Maa Dindeshwari Ward
6.	Other Backward Class (Female)	10	Nanda Mahal Ward
7.	Female	06	Mahatma Gandhi Ward
		05	Pataleshwar Mahadev Ward
		03	Radha Krishna Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	02	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	मां संतोषी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	बूढ़ादेव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
		13	नेताजी सुभाष चंद्र वार्ड
		06	गुरू गोविन्द सिंह वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	भवानी नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	11	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
		08	महाराणा प्रताप वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Sirgitti, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	01	Bhim Rao Ambedkar Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	02	Minimata Ward
3.	Scheduled Tribes	10	Maa Santoshi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Budhadeo Ward
5.	Other Backward Class	12	Chandrashekhar Azad Ward
		13	Netaji Subhash Chandra Ward
		06	Guru Govinda Singh Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Bhawani Nagar Ward
7.	Female	11	Rani Laxmi Bai Ward
		08	Maharana Pratap Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पथरिया, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	गुरू रविदास वार्ड
		03	सुभाष वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	14	गुरू घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	बूढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	10	विवेकानंद वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	12	महामाया वार्ड
		11	शिवाजी वार्ड
		08	श्यामा प्रसाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	हाजी शुभान खान वार्ड
7.	महिला वर्ग	15	करमा माता वार्ड
		09	जवाहर वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009 —The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Patharia, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	13	Guru Ravi Das Ward
		03	Subhash Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	14	Guru Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	02	Budha Dev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	10	Vivekananda Ward
5.	Other Backward Class	12	Mahamaya Ward
		11	Shivaji Ward
		08	Shyama Prasad Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Haji Subhan Khan Ward
7.	Female	15	Karma Mata Ward
		09	Javahar Ward

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-35/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत संकरी, जिला-बिलासपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	05	दलदलिहा पारा वार्ड
		12	कुम्हार पारा वार्ड
		04	शांतिनगर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	08	आवास पारा वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	नेचर सिटी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	09	नया आवास पारा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	यादव मोहल्ला वार्ड
		01	सिंचाई कालोनी वार्ड
		14	बाजार पारा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	02	बंधवापारा वार्ड
7.	महिला वर्ग	13	ब्राम्हण मुहल्ला वार्ड
		07	साहू मुहल्ला वार्ड

Raipur, the 29th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-35/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Sakri, Distt. Bilaspur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	05	Daldaliha Para Ward
		12	Kumhar Para Ward
		04	Shanti Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	08	Awas Para Ward
3.	Scheduled Tribes	15	Nature City Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	09	Naya Awas Para Ward
5.	Other Backward Class	11	Yadav Muhalla Ward
		01	Irrigation Colony Ward
		14	Bazar Para Ward
6.	Other Backward Class (Female)	02	Bandhvapara Ward
7.	Female	13	Bramhan Muhalla Ward
		07	Sahu Muhalla Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.